

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को जिन किसी लोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



E. Vishnu
डॉ. ई. विष्णु वर्धन रेड्डी, IFS
Dr. E. VISHNU VARDHAN REDDY, IFS
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
Regional Passport Officer
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
Regional Passport Office
हैदराबाद, HYDERABAD

पासपोर्ट
PASSPORT



सत्यमेव जयते

भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA

Observation / OBSERVATION

Miscellaneous Service / MISCELLANEOUS SERVICE

Name of Father / Legal Guardian / పితా / వాస్తవిక నిర్వాహక అంశం

PRAKASH GANNARAPU

Name of Mother / మాతా

SUGUNA GANNARAPU

Name of Spouse / భర్త / భార్య

PREMALATHA SIRUPATHI

Address / చిరునామా

H-NO:3-12

PEMBI, NIRMAL

PIN:504203, TELANGANA, INDIA

Old Passport No. with Date and Place of Issue / పాస్ పోర్ట్ నెంబర్ తేదీ మరియు ప్రదేశం

H0895510

01/10/2008

HYDERABAD

File No. / ఫైల్ నెంబర్

HY2071687060718



Z4595263

संक्षेप-सूची

विदेशों में अपने वारं भारतीय नागरिकों को सहाय्य की जाती है कि वे विदेशों में भारतीय नागरिकों/केन्द्र में अपना पंजीकरण करावें।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी के प्रायः भारत को प्रति कोई सूचना मिलनी है जिससे पासपोर्ट रद्द करने की योग्यता है।
यदि आपका पुराना अनुदान समाप्त हो जाए।
यह पासपोर्ट काल काल किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट भारत या उसके द्वारा अधिपत्य क्षेत्रों के कालों में ही होना चाहिए। इसके किसी भी प्रकार का उपयोग या विक्रय नहीं की जाननी चाहिए।
पासपोर्ट गुप्त हो जाने, चोरी हो जाने अथवा खट्ट हो जाने पर तत्काल भारत में अपने विदेशों में भारतीय नागरिकों को अपना प्रति पासपोर्ट अटक दिखाने में है। जो विदेशों में भारतीय नागरिकों/केन्द्र और भारतीय पुराना का उपयोग की जाती चाहिए। विदेशों में भारत के बाहर ही कुलमंडल पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.